न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा

उत्पाद वाद संख्या– 244/2019

संजय कुमार महतो बनाम बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
25/10/2019	<u>आदेश</u> प्रस्तुत उत्पाद वाद आवेदक संजय कुमार महतो, पिता–देव नारायण महतो, ग्राम–कुशियारी, पो0–करूआ हजपुरवा, थाना–चकमहेसी, जिला–समस्तीपुर की ओर से नगर (कोतवाली ओ0पी0) थाना कांड सं0–148/2018 में उत्पाद अधिनियम के अन्तर्गत जब्त वाहन महिन्द्र सुप्रो मैक्सी ट्रक (PICKUP) भान पंजीयन सं0–**BR33GA-4462** के विमुक्ति हेतु माननीय उच्च न्यायालया, पटना मे दायर सी0डब्लू0जे0सी0 नम्बर–13426/19 में दिनांक 23.09.2019 को पारित आदेश के आलोक में प्रारंभ की गयी। अवलोकनोपरान्त ज्ञात हुआ कि उक्त थाना कांड में जब्त वाहन का राज्यसात्/अधिहरण प्रस्ताव वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा से अप्राप्त है, तथा उक्त आदेश के आलोक में वाहन स्वामी के द्वारा वाहन से संबंधित मूल कागजात तथा निदेशानुसार प्रतिभूति एवं अन्डरटेकिंग दाखिल करने के पश्चात वाहन को विमुक्त किया जाना है। चूँकि उक्त वाहन के विमुक्ति हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना के सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–13426/19 में दिनांक 23.09.2019 को आदेश पारित है। उक्त आदेश के आलोक में आवेदक की ओर से बंधपत्र, अन्डरटेकिंग एवं वाहन से संबंधित कागजात की सत्यापित प्रति के साथ एक प्रतिभूति के रूप में महेश महतो, पिता–रामविलास महतो, ग्राम–भजौरा, पो0–भरवाड़ा, थाना–सिंहवाड़ा, जिला–दरभंगा का वाहन पंजीयन सं0–BR07GA-5035 बोलेरो पिकअप कीमत बीमित मूल्य के अनुसार मो0 5,48,604.00 (पाँच लाख अड़तालिस हजार छः सौ चार) रुपये मात्र का दाखिल किया गया है। जब्त वाहन का बीमित मूल्य मो0–**4,46,847.00** (चार लाख छियालिस हजार आठ सौ सैंतालिस) रुपये मात्र है। दाखिल सभी कागजात विद्वान अधिवक्ता एवं विभागीय अधिवक्ता द्वारा सत्यापित है। जिसे सही पाकर स्वीकृत किया जाता है। अतएव आवेदक द्वारा दाखिल प्रतिभूति, बंध पत्र आदि एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–13426/19 में दिनांक 23.09.2019 को पारित आदेश के आलोक में नगर (कोतवाली ओ0पी0) थाना कांड सं0–148/18 में जब्त वाहन महिन्द्र सुप्रो मैक्सी ट्रक (PICKUP) भान पंजीयन सं0–**BR33GA-4462** को विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है।	

पारित आदेश की प्रति, उक्त वाहन के विमुक्ति हेतु, प्राप्त बंध–पत्र, अन्य कागजात एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश की छायाप्रति के साथ आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु थानाध्यक्ष, नगर (कोतवाली ओ0पी0) थाना को अनुपालनार्थ भेजें।

आदेश की प्रति अधीक्षक उत्पाद, दरभंगा को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजे।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं ज़िला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा